

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 77 दिनांक 11.04.2025

वाराणसी जजशिप में अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने हेतु आगामी माह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 2025 की निम्न प्रकार से व्यवस्था की जाती है:-

क्र.सं.	माह	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम
1.	मई, 2025	सुश्री वर्तिका शुभानन्द,	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-07, वाराणसी।
2.	जून, 2025	श्रीमती भावना भारतीय,	सिविल जज (सी०डि०) एफ.टी.सी., वाराणसी।
3.	जुलाई, 2025	सुश्री प्रियल शर्मा,	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02/ वर्चुअल कोर्ट, वाराणसी।
4.	अगस्त, 2025	सुश्री मीनाक्षी बंसल,	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03, वाराणसी।
5.	सितम्बर, 2025	श्रीमती सौम्या पाण्डेय,	अपर सिविल जज (जू० डि०), कोर्ट संख्या-02, वाराणसी
6.	अक्टूबर, 2025	सुश्री जयति,	अपर सिविल जज (जू० डि०), कोर्ट संख्या-07, वाराणसी

नोट:- रिमाण्ड मजिस्ट्रेट अपने रिमाण्ड अवधि में यदि किसी आकस्मिक कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाते हैं, तो अपने किसी सहयोगी मजिस्ट्रेट से रिमाण्ड कार्य के लिए सहमति लेने के बाद ही प्रार्थना-पत्र मेरे माध्यम से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, वाराणसी को प्रेषित करेंगे।

प्रतिलिपि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, वाराणसी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

दिनांक:-11.04.2025

(मनीष कुमार-॥)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय वाराणसी।
- 2- सम्बन्धित मजिस्ट्रेटगण।
- 3- संयुक्त निदेशक (अभियोजन), वाराणसी।
- 4- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

दिनांक:-11.04.2025

(मनीष कुमार-॥)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।